न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4540–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 376/2011–12.

श्रीमति सुगनबाई पति सुजानमल भण्डारी
निवासी पेटलावद जिला झाबुआ

.....आवेदक

विरूद्ध

कृष्णकुमार पिता बिन्देश्वरी श्रीवास्तव
निवासी 35 सुभाष मार्ग, पेटलावद
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.....अनावेदक

श्री बी0 के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार पेटलावद के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 एवं 190 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बाडिया तहसील पेटलावद स्थित भूमि खाता नंबर 65 रकबा 1.684 हैक्टेयर अनावेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है । उपरोक्त भूमि पर आवेदिका लगभग 8–10 वर्षों से कृषि कार्य करती रही होने से वह प्रश्नाधीन भूमि की अधिपति कृषक होकर भूमिस्वामी हो गई है । अतः अनावेदक का नाम खारिज किया जाकर आवेदिका का प्रश्नाधीन भूमि पर इन्द्राज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ'46/1981–82 दर्ज कर दिनांक 28–8–1982 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका को स्वत्व प्रदान करते हुये उसका नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–6–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 28–8–1982 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–10–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध लगभग 25 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलंब से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 168 एवं 169 के अंतर्गत लगातार 3 वर्ष तक भूमि जिसके आधिपत्य में रहती है वह अधिपति कृषक हो जाता है । तर्क में यह भी कहा गया कि स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर अनावेदक को नाबालिग माना गया है, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35

के अंतर्गत स्कूल सर्टिफिकेट साक्ष्य में मान्य नहीं है और अन्य साक्ष्य से उसको नाबालिग होना प्रमाणित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 व 101 के अंतर्गत अनावेदक नाबालिग होने को प्रमाणित करने का भार अनावेदक पर था, जो नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का कब्जा होना स्वीकार किया गया है अतः अन्य साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है । तर्क के समर्थन में 1995 राजस्व निर्णय 393, 2010 राजस्व निर्णय 250, 2000 राजस्व निर्णय 116 एवं 2000 (दो) एमपीडब्लूएन शार्ट नोट 98 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में जिन खसरों की नकल प्रस्तुत कर आवेदिका द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया है वे प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है, जबकि अनावेदक द्वारा वर्ष 1981 लगायत 1987 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें खसरे के कालम नंबर 12 में आवेदिका का कब्जा दर्ज नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–8–1982 को उदघोषणा का प्रकाशन किया गया है और 28–8–1982 तक आपत्तियॉ आमत्रित की गई है और दिनांक 28–8–1982 को ही विज्ञप्ति की तामीली हुई है, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर भूमि पड़त है अतः आवेदिका द्वारा कृषि कार्य किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है और ऐसे आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 190 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई है। प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दिये जाने के संबंध में भी अनावेदक की सहमति नहीं होकर किसी अन्य के द्वारा दी गई सहमति संलग्न है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 168 एवं 169 के अन्तर्गत भूमि 3 वर्ष से अधिक आधिपत्य

में रहने के आधार पर संहिता की धारा 185 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और ऐसे अधिपति कृषक को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 185 एवं 190 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णत विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर